

आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अन्य प्रकार की फीस/चार्ज का निर्धारण आदेश संख्या एफ. 15(7)डीएमई/ए. /2018/707 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 05.06.2018 के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 7(11)राजमेस/एकेडमिक/एमबीबीएस फीस/2018/2118 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा एन.आर.आई. छात्रों से अतिरिक्त सुविधाओं के बाबत निर्धारित राशि 40,000.00/- रु. वार्षिक वसूल की जा रही राशि को बढ़ाकर 50,000.00/- रु. निर्धारित किये गये थे। उक्त आदेश अन्य छात्रों जो अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, के लिए भी लागू किया जाता है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए गये हैं।

(शिवांगी स्वर्णकार)

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं

निदेशक, राजमेस

दिनांक:- 28-10-2020

क्रमांक:- एफ15(7)डीएमई/एके./2018/2276

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक- माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, नवीन मेडिकल कॉलेज, समस्त.....।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
10. रक्षित पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं

निदेशक, राजमेस